



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 भाद्र 1935 (श0)  
(सं0 पटना 727) पटना, बुधवार, 18 सितम्बर 2013

परिवहन विभाग

अधिसूचनाएं

10 सितम्बर 2013

सं0 प्रा0डब्लू0टी0-302/10-4449-परि0—बंगाल नौ-घाट अधिनियम-1885 के अधीन गठित आदर्श नौका नियमावली-2011 के नियम-37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नाविकों को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित न्यूनतम अर्हतायें निर्धारित की जाती हैं :-

1. न्यूनतम उम्र 18 वर्ष ।
2. तैरने की योग्यता एवं अन्य आपात स्थितियों से निपटने की जानकारी रखता हो ।
3. साक्षर होना आवश्यक है ।
4. नाव परिचालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव रखता हो ।
5. जिला प्रशासन द्वारा नाविकों के लिए आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने का प्रमाण पत्र ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह0) अस्पष्ट,  
सरकार के प्रधान सचिव।

10 सितम्बर 2013

सं0 प्रा0डब्लू0टी0-302/10-4449-परि0 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 खंड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाए ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह0) अस्पष्ट,  
सरकार के प्रधान सचिव।

*The 10th September 2013*

No. S-1/W.T.-302/10-4449-T.—In exercise of powers conferred under section 37 of Model Boat Rules framed under Bengal Ferries Act, 1885, following essential qualifications are prescribed for obtaining licence of boatman (sailor) :-

1. Minimum age 18 years.
2. Should know swimming and have knowledge to meet emergency situations.
3. Should be literate.
4. Should have one year experience of boat operation.
5. Should possess certificate of attending one day orientation course conducted by the District administration for boatmen.

By order of the Governor of Bihar,  
Sd./Illegible,  
*Principal Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 727-571+100-डी0टी0पी0।  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**